संख्याः 62 /54–1–12/1(5)2010

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त उप निदेशक/ भूमि संरक्षण अधिकारी,
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 03 फरवरी, 2012

विषयः–आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के अन्तर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्य–कलापों हेतु जल संग्रहण समितियों के भौतिक एवं वित्तीय कर्तव्यों/दायित्वों पर नियंत्रण के संबंध में।

महोदय,

शासन स्तर पर विभिन्न समीक्षा बैठकों में यह बिन्दु उठाये जाते रहे हैं कि भूमि संरक्षण इकाईयों के जल संग्रहण समितियों के भौतिक एवं वित्तीय कर्तव्यों/दायित्वों पर कार्यदायी संस्थाओं/भूमि संरक्षण इकाईयों का कोई औपचारिक नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण वाटरशेड परियोजनाओं के कार्य–कलापों के लिए स्थानान्तरित धनराशि का व्यय किस प्रकार हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है।

इस संबंध में समान मार्गदर्शी सिद्धान्त के अध्याय–5.2 के प्रस्तर–38 एवं 39 के निम्नलिखित अंश पर आपका ध्यानाकर्षण किया जा रहा हैः–

5.2 परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी की भूमिका और उत्तरदायित्व

38. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी0आर0ए0) प्रकिया के जरिए वाटरशेड के संबंध में विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु ग्राम पंचायतों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगी, ग्राम समुदायों के लिए सामुदायिक संगठन और प्रशिक्षण का कार्य शुरू करेगी, वाटरशेड विकास कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी, परियोजना लेखों का निरीक्षण और उन्हें प्रमाणित करेगी, किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और स्वदेशी तकनीकी जानकारी के संवर्धन को प्रोत्साहन देगी, समग्र परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगी तथा परियोजना उपरांत प्रचालन और अनुरक्षण के लिए तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित की गई परिसम्पतियों के आगे और विकास के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करेगी।

39. परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् डब्ल्यू0सी0डी0सी0/डी0आर0डी0ए0 के अनुमोदन हेतु वाटरशेड विकास परियोजना के संबंध में कार्य योजना तथा अन्य व्यवस्थाएं प्रस्तुत करेगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी डब्ल्यू0सी0डी0सी0 को आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी आरंभ किए गए कर्यों के वास्तविक, वित्तीय तथा सामाजिक लेखापरीक्षा की भी व्यवस्था करेगी। यह सरकार के अन्य कार्यक्रमों जैसे एन0आर0ई0जी0ए0, बी0आर0जी0एफ0, एस0जी0आर0वाई0, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जनजातीय कल्याण योजनाएं, भू–जल की कृत्रिम पुनः भराई, हरित भारत (ग्रीनिंग इंडिया) आदि कार्यक्रमों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने को सुविधाजनक बनाएगी।

समान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उपरोक्त प्राविधानों के रहते हुए संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी, पी0आई0ए0 के रूप में अपने कर्तव्यों/दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकते, साथ ही वाटरशेड कमेटी के कार्य–कलापों पर उनके द्वारा अन्य कार्यों के साथ–साथ पर्यवेक्षण, प्रमाणीकरण एवं परियोजना लेखों का निरीक्षण आदि के दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। वाटरशेड कमेटी द्वारा अपने खाते से धनराशियों के आहरण हेतु जारी किये गये चेक पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा काउन्टर साइन की व्यवस्था भी लागू की जाती है । यदि कार्य–कलापों के आवश्यकता एवं महत्ता के आधार पर पूर्व में धनराशि का आहरण किया गया हो तो उसका समायोजन होने के पश्चात् ही अगली धनराशि एडवांस के रूप में नियमानुसार आहरित की जाये ताकि वाटरशेड कमेटी के स्तर पर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित हो सके ।

अतएव उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित भूमि संरक्षण इकाई कार्यदायी संस्था के रूप में आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के अन्तर्गत परियोजनाओं के विकास कार्यों हेतु वाटरशेड कमेटी के भौतिक एवं वित्तीय कर्तव्यों एवं दायित्वों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि वाटरशेड कमेटी स्तर पर कोई भी अनियमितता अथवा कमी पायी जाती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 62(1)/54–1–11/2012, **तददिनांक**

प्रतिलिपिः–उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2– आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, लखनऊ/कानपुर।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।